वैवाहकि बलात्कार की वैधानकिता पर दलि्ली उच्च न्यायालय की टपि्पणी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दलि्ली हाई कोर्ट ने वैवाहकि जीवन को लेकर महत्त्वपूर्ण टपि्पणी करते हुए कहा है कि शादी का मतलब यह नहीं कि कोई महलिा शारीरकि संबंध बनाने के लयि हमेशा राज़ी हो और अपना शरीर पतकिो सौंप दे| साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि बलात्कार के लयि बल प्रयोग ही कयि जाए यह कसिी भी तरह का दबाव बनाकर कयि जा सकता है|

प्रमुख बदिु

- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मत्तिल और न्यायमूर्त सी. हरशिंकर की एक खंडपीठ का यह नर्णिय तब आया जब पुरुषों के समूह द्वारा संचालति एक गैर-सरकारी संगठन ने तर्क दयि कि विवाहति महलिाओं को अपने पतयिों द्वारा यौन हसिा के खलिाफ कानून के तहत पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।
- एनजीओ ने दावा कयि कि यौन उत्पीड़न में बल प्रयोग या भय उत्पन्न करना अपराध के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं| खंडपीठ ने कहा, "बलात्कार, बलात्कार होता है, क्या ऐसा है कि आप ववािहति हैं, तो यह ठीक है लेकनि यदि आप नहीं हैं, तो यह बलात्कार है?
- अदालत ने कहा, आईपीसी की धारा 375 के तहत इसे अपवाद क्यों होना चाहयि? बल प्रयोग बलात्कार के लयि एक पूर्व शर्त नहीं है।
- धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी जसिकी उम्र 15 साल से कम नहीं है के साथ, संबंध बनाना बलात्कार नहीं है|
- न्यायालय ने कहा, इन दनिों बलात्कार की परभिाषा बदल गई है| पतकि द्वारा बलात्कार में यह ज़रूरी नहीं है कि इसके लयि बल प्रयोग कयि जाए| यह आर्थकि ज़रुरत, बच्चों और घर की अन्य ज़रूरतों के नाम पर दबाव बनाकर भी कयि जा सकता है|
- यदि महलिा ऐसे आरोप लगाकर अपने पतकि खलिाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करती है तो क्या होगा?

धारा 375 की वैधानकिता को चुनौती

- अदालत वैवाहकि बलात्कार को अपराध घोषति करने की मांग करने वाली एक याचकिा पर सुनवाई कर रहा है जसिका वरिोध एनजीओ, मेन कल्याण ट्रस्ट द्वारा कयि गया है जसिने दावा कयि है कि कसिी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ शारीरकि संबंध स्थापति करना बलात्कार नहीं है और यह "असंवैधानकि भी नहीं है" इसे ख़ारजि करने से अन्यायपूर्ण स्थति पैदा होगी।
- मेन वेलफेयर ट्रस्ट, एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडयि डेमोक्रेटकि वमिन एसोसएिशन तथा एक वैवाहकि बलात्कार पीड़ति द्वारा दायर याचकिाओं का वरिोध कर रहा है, जसिने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार की परभिाषा) की संवैधानकिता को चुनौती दी है और कहा है कि यह पतयिों द्वारा ववािहति महलिाओं के खलिाफ भेदभाव को प्रदर्शति करता है|
- खंडपीठ ने ट्रस्ट के उन प्रतनिधियिों के समक्ष वभिनि्न प्रश्न उठाए, जनि्होंने इस मामले में हस्तक्षेप कयि था और पूछा कि क्या उनका कहना है कि पति अपनी पत्नी पर संबंध के लयि दबाव डाल सकता है? इसके जवाब में एनजीओ ने नकारात्मक जवाब दयि| घरेलू हसिा कानून, ववािहति महलिा को घरेलू हसिा, अप्राकृतकि संबंध तथा यौन उत्पीड़न के वरिुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालाँकि, पतयिों को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि भारत में कानून लगि वशिष्टि है|
- वहीं, केंद्र ने भी मुख्य याचकिाओं का वरिोध कयि है कि वैवाहकि बलात्कार को आपराधकि कृत्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह ऐसी घटना बन सकती है जो ववािह संस्था को अस्थरि कर सकती है और पतयिों को परेशान करने के लयि एक आसान साधन बन सकती है।

इस बारे में और अधकि जानकारी के लयि इन लकि्स पर क्लकि करें:

⇒ धारा 375 का अपवाद (2) असंवैधानकि करार
⇒ पत्नी के साथ यौनाचार, बलात्कार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

delhi-high-court-on-marital-rape